मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से सातवें वेतनमान में 2% एवं छटवें वेतनमान में 3% की वृद्धि।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2017/नियम/चार दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 5% की दर से तथा छटवें वेतनमान में 139% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मी को निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	**महँगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत**
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2018 से (माह जनवरी, 2018 का वेतन जो फरवरी, 2018 में देय होगा) ।	**2%** (कुल 7%)
छटवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-01-2018 से (माह जनवरी, 2018 का वेतन जो फरवरी, 2018 में देय होगा) ।	**3%** (कुल 142%)

15/5/18

3/ मंहगाई भत्ते की गणना सातवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन तथा छटवें वेतनमान में वेतन बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर की जाएगी।

4/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

5/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

6/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/5/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 4-2/2018/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 16 मई, 2018

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग